भारत सरकार

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 471**

जिसका उत्तर 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

29 कार्तिक, 1941 (शक)

## आधार को सोशल मीडिया से जोड़ना

**471. सुश्री एस. जोतिमणि** :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार व्यक्तियों के सोशल मीडिया अकाउंटों को आधार से जोड़ने के लिए कोई कानून बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने सोशल मीडिया पर डाले गए आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेन्ट को हटाने का आदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें किन विषयों को शामिल किया गया है; और

(ग) यूआईडीएआई द्वारा रखे गए बायोमैट्रिक आंकड़ों और निजी जानकारी चोरी होने के संबंध में निजता संबंधी चिंताओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)**

**(क):** जी, नहीं। व्यक्तियों के सोशल मीडिया अकाउंटों के साथ आधार को जोड़ने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**(ख):** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69क सरकार को निम्नलिखित के हित में किसी कंप्यूटर संसाधन में तैयार की गई, प्रसारित की गई, प्राप्त, भंडारित अथावा होस्ट की गई किसी भी ऐसी सूचना को ब्लॉक करने का अधिकार प्रदान करती है, जो i)भारत की संप्रभुता और अखंडता, ii)भारत की रक्षा, iii) राष्ट्र की सुरक्षा, iv)विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध v)सार्वजनिक व्यवस्था अथवा उपर्युक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को करने के लिए भड़काने से रोकने से संबंधित है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ब्लॉक किए गए यूआरएल की संख्या का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

| वर्ष | ब्लॉक करने के लिए ऑर्डर किए गए यूआरएल की संख्या |
|---|---|
| 2016 | 633 |
| 2017 | 1385 |
| 2018 | 2799 |
| 2019 ( 31 अक्टूबर 2019 तक) | 3433 |

ब्लॉक करने का आदेश उपरोक्त विषयों के लिए जारी किया जाता है।

**(ग) :** आधार न्यूनतम सूचना, न्यूनतम अनविज्ञता और संघबद्ध डेटाबेस के 3 महत्वपूर्ण सिद्धातों पर आधारित है और इसके पूरे जीवनकाल में केवल उतनी ही सूचना संग्रहित की जाती है जो नागरिकों द्वारा नामांकन अथवा अद्यतनीकरण के समय दी जाती है। इस डेटाबेस में नामांकित नागरिक का नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि/आयु, फोटोग्राफ और कोर बॉयोमेट्रिक्स (10 फिंगरप्रिंट और 2 आइरिश स्कैन) संग्रहित होते हैं। डेटाबेस में मोबाइल नम्बर और ई-मेल भी हो सकता है, बशर्ते की नागरिक द्वारा नामांकन अथवा अद्यतनीकरण के समय उपलब्ध कराया गया हो। नीतिगत मामले के रूप में और डिजाइन के अनुसार यूआईडीएआई आधार के इस्तेमाल, व्यक्तियों की ट्रेकिंग और प्रोफाइलिंग से उत्पन्न होने वाली सूचना को समेकित नहीं करता है और प्रणाली को यह भी ज्ञात नहीं होता है कि नागरिक द्वारा उसके स्तर पर आधार का इस्तेमाल किस प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। इसके साथ-साथ कोर बॉयोमेट्रिक्स को नामांकन/अद्यतनीकरण के समय कूटलेखित कर दिया जाता है। इसे कभी भी कूटलेखित किए बिना नहीं रखा जाता है और न ही इसे साझा किया जाता है।

आधार डाटा की सुरक्षा के लिए यूआईडीएआई के पास एक सुगठित , बहु-परतीय,मजबूत सुरक्षा प्रणाली मौजूद है और उच्चतम स्तर की डाटा सुरक्षा और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए इसे सतत रूप से अद्यतन किया जा रहा है। आधार ईकोसिस्टम के ढांचे को सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आरंभिक डिज़ाइन से अंतिम चरण तक प्रणाली का अभिन्न अंग है।

बहुत-सी नीतियां और प्रक्रियाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं, जिनकी लगातार समीक्षा की जाती है और उन्हें अद्यतन किया जाता है, इस प्रकार यूआईडीएआई के परिसर, विशेष से डाटा केंद्रों में आने-जाने वाले लोगों, सामग्री और डाटा के किसी भी संचलन का उचित ढंग से नियंत्रण और निगरानी की जाती है। यूआईडीएआई का डाटा हर समय अर्थात निष्क्रिय अवस्था में, पारगमन के दौरान और भंडारण के समय पूरी तरह सुरक्षित और इंक्रिप्टिड रूप में होता है। डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता को और अधिक मजबूत करने के लिए नियमित आधार पर सुरक्षा जांच (ऑडिट) किए जाते हैं। आधार (वित्तीय,और अन्य छूट,लाभ और सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम,2016 तथा इसके पश्चात, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम,2019 जिसमें अपराधियों के लिए कठोर दंड/अर्थदण्ड का प्रावधान है के अधिनियमन के साथ आधार इकोसिस्टम के सुरक्षा आश्वासन को सुदृढ़ किया गया है।

यूआईडीएआई को सूचना सुरक्षा के संदर्भ में आईएसओ 27001 : 2013 से अधिप्रमाणित घोषित किया गया है, जिसने आईटी सुरक्षा आश्वासन की एक और सतह जोड़ी है। आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70 के प्रावधानों के अंतर्गत आधार की मूल अवसंरचना को सुरक्षित प्रणाली के रूप में अधिसूचित किया गया है।

******